कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

क्रमांक:-व-15(84)आरपीए/जन/बीसलपुर परि./2022/2257

दिनांक:-5/4-12-7

खुली निविदा सुचना इस संस्था में बीसलपुर जल परियोजना के एक पम्प स्टेशन स्थापित है जिसका संचालन, ऑपरेटिंग एवं मेन्टीनेंन्स आधार पर करवाया जाना है। उक्त कार्य हेतु एक वर्ष की अवधि के लिए मोहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है निविदा सूचना www.sppp.rajasthan.gov.in एवं www.rpa.rajasthan.gov.in पोर्टल पर

क्र.सं. 1.	आइटम	अनुमानित राशि रू.	अमानत राशि रू.	निविदा फार्म मुल्य
	Operation and Maintenance of Water Supply at RPA, Jaipur including Round the Clock O&M of Pump house including 7 Nos Centrifugal pumpsets, Panel Boards, cables, suction and delivery piping, 1 No dewatering pumps, 1350KL CWR, and related distribution DI Pipe line at RPA campus Jaipur. (Per Month)	6.00 लाख	12000.00	500.00
2.	Repairing of soft Starter 15KW /MCCB etc.			
3.	Repairing of centrifugal pumpset including rewinding of motor			
4.	Replacement of pump motor Bearings			
5.	Replacement/ filtration of Transformer oil if required			
6,	Repairing of DI Pipe Line with CID joint, MS Piece. nut bolt, gasket etc			
7.	Repairing of dewatering pumps including nut bolt washer etc.			
8.	Replacement /Repairing of 11KV GSS Equipment as like GO, DOF, LA, Disc insulator etc.			
9.	Replacement /Repairing of MS special (MS Pipe, Reducer, Bend, Tee, MS Clamp etc)			
10.	Repairing of Sluice Valve (Size 150mm & 200mm)			
F	विदा शर्त:-			

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपत्र इस कार्यालय की सामान्य शाखा से निर्धारित शुल्क (बैकर चैक / डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

2. निविदायें मोहर बंद लिफाफें में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 17.04.2023 को दोपहर एक बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में इस कार्यालय की सामान्य शाखा में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिनांक **17.04.2023** को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

3. बयाना राशि के बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. रिटर्न एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

जो निविदाएं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

6. निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. नियम के अनुसार मान्य होगी।

7. निविदा या निविदा के किसी भी भाग को स्वीकार व अस्वीकार करने के पूर्ण अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगें।

> उप महानिरीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित
- 2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।
- 3. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपुर।
- 4. लेखा शाखा / प्रोग्रामर, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
- 5. प्रभारी कम्प्यूटर, आर.पी.ए. जयपुर को मेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp पोर्टल (www.sppp_rajasthan.gov.in) पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।

6. प्रभारी स्टोर/कैशियर/नोटिस बोर्ड राजस्थान पुलि**डिंगुगिटरिपुगिट yalid**

Digitally signed by प्राप्त के प्रतिस्त प्रतिस्त Designation : Sepur प्रतिस्त अकादमी, जिल्ला अकादमी,

RajKaj Ref No.: 3564531



कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। क्रमांक:-व-15()आरपीए/जन/PHED/20 / दिनांक:-

निविदा प्रारूप (देखिए नियम 68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 17.04.2023 समय 01.00 बजे तक। निविदा खोलने की अन्तिम तिथि

	_						17.04,20	23 सायः 03	.30 बजे ।	-
1. 2.	1 11-4		पग्रम	पम्प स्टेशन वाली	संचालन फर्म	करने के वि का	लेए दर अ नाम	नुबन्ध हेतु एवम्	निविदा। डाक	क
		***************************************		*******************************	1*************	***************	***************************************			

		पैन नं.								
		ाटन न	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	***********						
		जा,एस	ा.टा. राज	स्ट्रेशन नं	***************************************		******			
4,	संदर्भ:			देशक, राजस			-			
5.	निविद	ा फर्म की राशी रूप	ाये 500	डीडी / बैंकर	' चैक संर	या	टिचंद्र			
	WIN /	गया प्रश्नादा गड ह	1							
6.	निदेश	क, राजस्थान पुलि में वर्णित क्यी	स अका	दमी जयपुर	द्रारा दी	गई निवि	दा सचना	र संख्या		टिनांत
	**********	······· 41-1/1 /1/11	XIVII Y1	LIGH MAN	a 902 (eace ami	77874 77		_/_	V 1
		MIN (414) (14) (4)	Oll 1 db	NAIN H 24	네티 중상시간	ार कर दि	ये हैं) में व	दी गई उक्त	निविदा	सचना
7	7/1 01	1011/401 41011 41 91	व्य धाना	Adjust and	1 हा					
per per		लेखित मदों के प्रदा	य काल	य दर निम्न	प्रकार है:-	-				
3	ह.सं.			आइटम क	ग नाम			द	र (समस्त सहित)	
	1.	Operation and	Mainte	nance of	Water 5	Supply at	RPA. I	aipur	MIEAI	
		micluaing Roun	d the Cl	ock O&M c	of Pump	house in	cluding 7	Nos		
		Centrifugai pun	ipsets, F	anel Board	ls, cable	s, suction	and del	ivery		
		bibing, T Mo	dewate	ring pump	s, 1350	KL CWR.	and re	lated		
H	2.	distribution DI P Reparing of soft	tpe line	at RPA cam	ipus Jaip	ur. (Per N	/lonth)			
-	3.	Reparing of cont	brifugal	15KW /WC	CB etc.					
-	4.	Reparing of cent Replacement of	nugar	oumpset in	cluding r	ewinding	of motor	r		
	5.	Replacement / fi	tration	of Transfer	ngs	<u></u>				
- I	6.	Replacement/ fi	ina Lina	OI Transfor	mer oil i	f require	d			
_		Reparing of DI P						sket		
	7.	Reparing of dew	atering	pumps incli	uding nu	t bolt wa	sher etc.			
1	8,	Replacement /R LA, Disc insulato	r etc.							
9	9.	Replacement /R Tee, MS Clamp e	eparing etc)	of MS spe	ecial (MS	Pipe, Re	ducer, B	end,		
	10.	Reparing of Sluid	e Valve	(Size 150m	m & 200	mm)		_		_
9. उपरे	प्राक्त द	त्तानुसार सामग्री की की विस्तृत जानकार्र रें एक वर्ष तक के 11 सकेगी।	। मात्रा व ने कार्याल	ास्तविक मांग रा में जाकिश	अनुसार	घटाई अथ		. 44	है।	
10. बैक	ड्राफ्ट ्र	/ बैकर्स चैक सं		दिनांक	21	ग / चन्न				
,,	41142	सारा राशा	रूपय	/—	वयाना रा	शी को मेटे	त्यम कर	- Arr Arra	4	
11. इसव	हे साथ न हैं।	GST , एवं राजव	गेय पंजी	यन प्रमाण-प	ার,			वर्ष क	ः। । कार्यानुः	व
12. विनि 13. निवि	र्माता / दाकी	डीलर आदि का घो अन्य शर्ते संलग्न प	ाषणा पत्र परिशिष्ट-	एस. आर.11 -ए पर अंकिट	में सलंग न है।	न है।				
		·	, =	, • 1140	Sic	gnat	ure	valid		
					Digita Desi	ally signe	d by Kalle epul	िक्ष है। 1 Chan spector	ताक्षर dra Jat	
Z:\Digi(No. : 35	GOV\] 64531	Rajasthan\FileSys	temDM	SStore\Digi	Gene GGRAIN GCReas	eral Of Pi ti2023194 ton: Appr	ilite/ ove ode	5881d2T9.	docx	

Z:\DigiGOV\F RajKaj Ref No. : 3564531





खुली निविदा के लिए एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी : निविदाओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए ।

- 1. बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित्र रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा। (अ) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाऐं:--
- - (i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर जपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
 - (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी। (ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षण:—

 - (i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्में पात्र मानी जावेगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन ॥ प्राप्त होना चाहिए। मेमोरण्डम
 - (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19. 11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।
- (iii) राजस्थान के सूक्ष्म् एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, ज्यपुर द्वारा उधिमता ज्ञापन् II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूपमें एवं निर्धारित तरीक से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया
- (iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबिक प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत् जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।
- (vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19. ्11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

C:\Users\h\Desktop\backp 29-3-22\Open tender condition.doc

- (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं
 - (ii) सविदा के सबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं केताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकर की गई किसी भागीदारी की रसदी उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी योजना के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगा ।
- जीएसटी पंजीयन/जीएसटी रिर्टन एवं पेन कार्ड की प्रति -
 - (i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम/बिक्रकर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 - (ii) बोलीदाता सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्राप्त बिकी कर शोधन प्रमाण-पत्र एवं आय कर चुकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।
- निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने 7.
- बोली में दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समस्त प्रकार के करों की दरें पृथक से
- दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए । स्थानीय प्रयासों सप्लाई के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।
- विधि मान्यता:— निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से RTPP नियम में उल्लेखित अवधि के लिए विधि
- निविदाता अपनी संविदा को या उनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या
- 11. निरीक्षण एवं परीक्षण :— प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विर्निदेशों या अनुमोदित नमूनों / केटलॉग / डेमों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जायेगा। अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को रदद कर दिया जायेगा। रदद किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर
- 12. रद्द किये गये सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद विभाग किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- 13. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित सम्यों पर् प्रदायकर्ता / ठेकदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिम्णि की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
- 14. परीक्षण प्रभार :--परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
- नमूने:--अनुसूची में अंकित वस्तुओं की निविदाओं के साथ उचित रूप में से पैक की गयी निविदत्त वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएगें। ऐसे नमूने यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाए तो कार्यालय में प्राप्त किए जाएगें। नमूने प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक नमूने के लिए रसीद की जाएगी । यदि ये नमूने ट्रेन आदि से भेजे जाते है,तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवान चाहिए तथा आर/आर या जी.आर.एफ. पृथक रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए/ केटरिंग/खाद्य पदार्थो के नमूने प्लास्टिक वाँचर/पोलीथीन के थैलों में निविदाता के खर्च पर दिये जाने चाहिए।
- 16. प्रत्येक नमूने पर ,उस पर या उस पर मजबूती से चिपकायी गयी किसी मजबूत कागज की पर्ची पर निविदाता का नाम मद की कम संख्या जिसका वह अनुसूची में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे। नमूना के अभाव में निविदिा पर विचार नहीं किया जाएगा।

17. को प्रयोगशालाओं एवं / या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

18. रदद करना :--

- निरीक्षण या परीक्षण के दौरान या जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जाऐगी, उन्हें रदद किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला
- (ii) आपूर्ति किया गया माल या आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।
- (iii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों मे से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।
- 19. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
- 20. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी): निविदा के साथ निर्धारित रूपये की बयाना राशि प्रस्तुत की बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि निदेशक आर.पी.ए. जयपुर के पक्ष में बैंक डिमाण्ड
- 21. बयाना राशि का समपहरण --बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया जावेगा।
 - (1) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।
 - (2) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।
 - (3) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता
 - (4) जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है। रहता है

22. करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :--

- (i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रूपये 500/– मूल्य के नॉन ज्सूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार-पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमां करानी।
- (ii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाईटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादित प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर
- (iv) यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
- (v) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तय पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लिम्बत है, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर होगी।
- (2) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (3) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी-
 - (i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
 - (ii) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।
 - (iii) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस/ सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिप्ट/विलेख यदि इन्हें गिरवी

रखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर स्वीकार किया

- (iv) एक समय पर खरीद के मामले में क्य आदेश के अनुसार मदों को अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के नाम या गारण्टी की अवधि यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय
- 23. प्रतिभूति राशि का समपहरण :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में
 - जब संविदा की किसी शर्त / अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
 - (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा
 - (ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस जायेंगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। दिया
 - कार्य में असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

24. स्पर्दगी अवधि :--

- निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं सुविधानुसार माल की सप्लाई का आदेश दिया जा सकेगा तथा निविदादाता द्वारा आदेशित माल एवं मात्रा की सप्लाई आदेश में दी गई अवधि में करनी होगी।
- (ii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम में करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
- 25. परिसमापित नुकसानी :—परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको निविदादाता सप्लाई
 - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु निहित अवधि के तीन चौथाई से अधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत ।
 - (घ) निहति अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत ।
 - (ड.) यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि सप्लाई की निर्धारित तारीख के बाद करेगा। पूर्ण होने
 - (ट) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे हो तो सुपुर्दगी की अविध में वृद्धि परिनिर्धारित क्षित सिहत या रहित की जा सकेगी। कारणों से हुई
- 26. वसूली :-परिनिर्धारित क्षतियाँ कम सप्लाई, टूट फूट या रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूट फूट, किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निपेक्ष से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 27. प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया जावेगा। पृथक से
- 28. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :- निविदादाता द्वारा आदेशित माल एवं मात्रा की सप्लाई निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा माल की खरीद स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की
- 29. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग को पूर्ण
- 30. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

- 31. वित्तीय बिंड में दी गई आईटम वाईज दर के आधार पर न्यूनतम दरदाता फर्म की आईटमवार निविदा या एकजाई रूप में स्वीकार योग्य होगी। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।
- 32. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013
- 33. सफल बिडदाता आईटम सप्लाई अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet नहीं करेगा।
- 34. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि
- 35. बिंड में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सहित होनी चाहिये। पृथक से कोई प्रभार देय नहीं है।
- 36. न्यूनतम/सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता का चयन आईटम वाईज या इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
- 37. आईटम्स वाईज दर अंकों एवं शब्दों में ध्यानपूर्वक भरी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यानपूर्वक की जावें। अंको एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की स्थिति में आईटम की रेट अंको एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको अन्तिम माना जावेगा।
- 38. **गारन्टी** :—बोलींदाता यह गारन्टी देगा कि उपकरण—सामग्री सुपुर्दगी एवं स्थापित के दिनांक से...... वर्ष अवधि तक यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी, तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने सुपुर्द सामग्री को अनुमोदित कर दिया है, यदि निर्दिष्ट गारन्टी अवधि में आपूर्ति सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गयी तो क्रेता अधिकारी ऐसी सम्पूर्ण/आंशिक सामग्री को रद्द करने का हकदार होगा। ऐसी रद्द की गयी सामग्री विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा, माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। बोलीदाता को, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहां जाए, तो वह उस माल को या उसके किसी भाग को, जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। बदलना होगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी नुकसानी के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंधन के कारण उत्पन्न होगी ? 39. भुगतान :--

- (क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जार्येंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।
- (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप
- 40. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :--
 - (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो ''पार्टनरशिप डीड'' की अनुप्रमाणित प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (iii) एक मात्र स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
 - iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।
- 41. किसी भी निविदा/बिंड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न
- 42. राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।
- 43. ब्लेक लिस्टेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।
- 44. निविदा प्रणाली RTPP Act 2012, Rules 2013 के अनुसार होगी।
- 45. तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं को उत्पाद के प्रदर्शन (ремо) के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। जिसका उन्हें कोई शुल्क प्रदान नहीं किया जावेगा।
- 46. तंग करने वाली अपीले या परिवाद:- जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है, वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो राशि बीस लाख रूपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत जो भी कम हो,

47. प्रतिभृति निक्षेप/कार्य सम्पादन प्रतिभृति:— सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का 2.5 प्रतिशत (जो कि 2 प्रतिशत अमानत राशि के अलावा देय होगी) अलग से धरोहर राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। अमानत राशि की रकम बाद में धरोहर राशि में समायोजित की जा सकती है। मैंन/हमने उपर्युक्त समस्त शर्ते ध्याननूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर (निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

एस.आर. प्रारूप-11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम/घोषणा करता हूं/करते है कि मैंने/हमने जिन मालो/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम/बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विकेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विकय/विपणन एजेण्ट हूं/है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपद्यत किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

> निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest Any person participating in a

- not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange (a) for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement (b)
- not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other
- not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, (c) fairness and progress of the procurement process. (d)
- not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- not indulge in any coercion including impairing or harming or ththreatening to do the same, (e) directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process. (f)
- not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- disclose conflict of interest, if any; and (g)
- disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last (h) three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process;
 - the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of
 - Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding qualifications

	Declaration by the Bidder
	In relation to my/our Bid submitted to
Dated Procure	in response to their Notice Inviting Bids No. I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in public ement Act. 2012, that:
1.	I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and
<i>A</i> .	If we have fulfilled my/our obligation to
3.	Government or any local authority as specified in the Biddingh Document. I/We are not insolvent, in receivership head.
	I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs not the subject of legal proceedings for any of the feeting activities suspended and
	and subject of legal proceedings for any of the factorial subject of legal proceedings for any of the

court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons. 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not

have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings. 5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document,

Date:	
Place:	Signature of bidder
i iace .	Name:
	Designation:
	Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

COCK 1		8 out official Truces
The	designation and address of	f the First Appellate Authority is f the Second Appellate Authority is
The	designation 1 11	f the Second Appellate Authority is
1110	designation and address of	f the Second Appellate And
(1)	Filling an annual	Appenale Authority is

Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Ducument within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal Bidder who has participated in procurement may be filed only by a proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluated thae Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to he acceptable.

The officer whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as (2) possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

C:\Users\h\Desktop\backp 29-3-22\Open tender condition.doc

If the officer designated under para (1) fails to dispuse of the appeal filed within the period (3) specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the espiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the Firsst Appellate Authority, as the case may be. **(4)**

Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters,

- (A) Determination of need of procurement;
- (B) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (C) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (D) Cancellation of a procurement process;
- (E) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

- (A) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (B) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (C) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (A) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- (B) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque or a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Procedure for disposal of appeal **(7)**

- (A) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (B) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (I) hear all the parties to appeal present before him; and
 - peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- After hearing the parties, perusal or inspection of documents and (c) relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the parties to appeal free of cost.
- The order passed under sub-clause© above shall also be placed on the (d) State Public Procurement Portal.

Me	emorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement A	(See rule 83)
App	peal Noof Procurement A	ct, 2012
Bet	fore the(First/Second Appellate Authority)	
1.	Particulars of appellant:	
	(i) Name of the appellant.	
	(ii) Official address, if any:	
	(iii) Residential address:	
2.	Particulars of appellant:	
	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
3.	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (and the order).	
	of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement	
	of a decision, action of omission of the D	
	of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of the provisions of the Act by which the appellant	
4.	the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:	
	If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:	
5.	Number of affidavits and down	
6.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal	
7.	Stounds of appear: (Supported by an affidavit)	
/•	Prayer	
	1 1000	
	Date	

appellant's signature

FORM No. 1

Annexure D: additional conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by I. multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected: Π.
- If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
- If there is discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, Ш. unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be 2. Correction of arithmetical errors

- At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose